तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुखाराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) सू.अ.अ. अपील संख्या 83/2022	

30-05-2022

अपीलार्थी सुखाराम पुत्र पेमाराम सुथार, पता ग्राम जवासीया तहसील पीपाड़सीटी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.02.2022 में (1) उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर कार्यालय में एक राजस्व वाद प्रकरण सं0 572/2015 की सत्यप्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना जरिये पत्रांक 716 दिनांक 07.03.2022 द्वारा सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि कार्यालय प्रभारी द्वारा जानबूझकर आरटीआई 2005 की धारा 8(ej) व 8(ख) हवाला बताते हुए सूचना नहीं देय होना कहा जबकि उक्त धारा उन पर लागू नहीं होती है तथा चाही गई सूचना से संबंधित वाद में वो पक्षकार है।

रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 1833 दिनांक 28.04.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना के तहत न्यायालय हाजा के प्रार्थना पत्र सं0 572/2015 दर्ज दिनांक 18.11.2015 निर्णय दिनांक 24.01.2016 सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली में पक्षकारों को जारी नोटिस के जावक रजिस्टर व आवक रजिस्टर कमांक की न्यायालय के रजिस्टर की प्रतियां चाही गई है जबकि न्यायालय में विचाराधीन पत्रावलियों की प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(ej) व 8(ख) के तहत नियमानुसार देय नहीं है। रिपोर्ट में आगे कहा कि इस कार्यालय के पत्रांक सू. अधि/2022716 दिनांक 07.03.2022 द्वारा प्रार्थी को सूचित कर दिया गया साथ ही प्रार्थी को परामर्श दिया गया कि नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त पत्रावली न्यायालय में होने पर नियमानुसार नकल प्राप्त कर सकता है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी को सूचना देय नहीं होने एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना [illegible] राजस्व प्रकरण में पक्षकार होने से नियमानुसार प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र [illegible] पर नकले प्राप्त करने को कहा है, की रिपोर्ट से सहमत होते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है तथा अपीलार्थी अभी भी उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर न्यायालय से संबंधित राजस्व प्रकरण के कागजात की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लि गंभीर है तो उसे नियमानुसार प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:08:22 IST
Reason: Self Attested